राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मोहनलाल बनाम रामलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1269/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/06/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
01/06/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीन्स्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो. की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर आदेश दिनांक 23/03/2015 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पचार में नियत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13/06/2016 पारित करते हुये ताफैसला मूल वाद तक अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून इयाद के साथ प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता होता है कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वाद विभाजन का है, जिसमे प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में यदि विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन होता है तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन बिन्दु उत्पन्न होकर पेचीदगीयां होना सम्भव है, जिसे रोका जाना न्यायोचित्त समझा जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है, जिसमे हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13/06/2016 यथावत रखा जाता है एवं अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	